रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102020-222600
CG-DL-E-21102020-222600

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर, 21, 2020/आश्विन 29, 1942
No. 531] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2020/ASVINA 29, 1942

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

सा. का. नि. 653(अ).—राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 43 (2020 के 31) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार प्रस्ताव करती है, उक्त धारा के उप-खंड (1) द्वारा यथाअपेक्षित, जो ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है की उक्त प्रारूप यह अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराय जाने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को उप सचिव (IS-I), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001 या varma.arch@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप और /या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा आरंभ** – (1) ये नियम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नियम, 2020 कहलाएंगे।

(2) ये अधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

क) "अधिनियम" अर्थात् राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 31);

ख) "अध्यक्ष" अर्थात् इस अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 2 (क) में यथा परिभाषित शासी निकाय का अध्यक्ष;

ग) विश्वविद्यालय का "शासी निकाय" अर्थात् इस अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (2) में यथा उल्लिखित शासी निकाय;

घ) "कुलपति" अर्थात् इस अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति।

(2) इसमें प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं, किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है;

3. शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निबंधन० एवं शर्तें –

(1) अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (छ), (ज), (झ) और (ञ) के तहत सदस्यों के चयन के लिए, कुलपति, अधिमानत: रिक्ति की संभावित तारीख से पहले आठ सप्ताह के भीतर, प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम पांच नामों के एक पैनल का सुझाव देंगे।

(2) केंद्रीय सरकार, शासी निकाय के सदस्यों का चयन करते समय, कुलपति द्वारा सुझाए गए पैनल पर विचार कर सकती है।

(3) शासी निकाय में सभी रिक्तियां अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार भरी जाएं तथा रिक्ति होने की तारीख से अधिमानत: 30 दिनों के भीतर रिक्ति को भरा जाए।

(4) अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) और (च) में निमित्त नियुक्त शासी निकाय के गैर पदेन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, अथवा उस समयावधि तक होगा जब तक वे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पद को धारित किए हों जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, इनमे जो भी पहले हो।

(5) शासी निकाय के अन्य गैर पदेन सदस्यों का कार्यकाल, सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। शासी निकाय का नामनिर्दिष्ट सदस्य अगली पदावधि के लिए पुन: नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(6) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित किसी सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि तक रहेगी, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्देशित किया गया है।

(7) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद छोड़ने वाला कोई सदस्य, जब तक कि शासी निकाय अन्यथा निर्देश न दे, तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसके स्थान पर सदस्य के रूप में दूसरे व्यक्ति को नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता।

4. शासी निकाय का सदस्य होने से अनर्हता –

(1) सदस्य के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति से पहले, उसे यह घोषणा-पत्र देना होगा कि विश्वविद्यालय के मामलों में उनका किसी भी प्रकार से हितों का टकराव नहीं है, और यदि, उनके कार्यकाल में किसी भी समय इस प्रकार का कोइ भी हितों का टकराव उत्पन्न होगा तो वह तत्काल पद से त्यागपत्र दे देगा।

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि जांच की निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात्, यह सिद्ध हो जाता है कि शासी निकाय के सदस्य और शासी निकाय के हितों में मतभेद है और शासी निकाय इस निर्णय पर पहुंचता है कि कथित मतभेद विश्वविद्यालय के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, तो शासी निकाय यह निर्णय ले सकता है कि उक्त सदस्य, शासी निकाय की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति उपर्युक्त नियम के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अनर्हता के अध्यधीन है तो यह मामला केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम माना जाएगा और उस निर्णय के विरूद्ध किसी भी सिविल न्यायालय में कोई मुकदमा अथवा अन्य कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

5. शासी निकाय के सदस्य की पदच्युति –

(1) शासी निकाय का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं बना रहेगा यदि वह -

(i) अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दे; अथवा

(ii) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो जाए; अथवा

(iii) दिवालिया हो, अथवा किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(iv) किसी अपराध में दोषी पाया गया हो जो कि केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक भ्रष्टता का मामला हो; अथवा

(v) वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक पद स्वीकार कर ले; अथवा

(vi) यदि वह अध्यक्ष की अनुमति के बगैर शासी निकाय की तीन बैठकों में लगातर अनुपस्थित रहा/रही हो; अथवा

(vii) शासी निकाय द्वारा नियम 4 के अनुसार, अयोग्य घोषित किया जाए।

बशर्ते कि, किसी भी सदस्य को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि मामले में अपना पक्ष रखने के लिए उसे पर्याप्त अवसर न दिए जाएं।

(2) नामित गैर पदेन सदस्य के मामले में, पदच्युति के आदेश, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएंगें।

6. शासी निकाय की बैठकें :-

(i) शासी निकाय की बैठक आवश्यकता के अनुसार की जाएगी, किंतु एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार।

(ii) शासी निकाय की दो बैठकों के बीच, किसी भी परिस्थिति में छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा।

(iii) शासी निकाय की बैठकें शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा अथवा कुलपति की सिफारिश पर बुलाई जाएंगी।

(iv) यदि अध्यक्ष किसी कारण से शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया कोई भी अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा,

(v) व्यक्तिगत रूप से अथवा विडियो कांफ्रेंस अथवा टेली कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल शासी निकाय के कुल सदस्यों का एक तिहाई शासी निकाय की बैठक के लिए कोरम होगा:

बशर्ते कि, यदि कोरम की कमी के कारण बैठक स्थगित की जाती है तो यह अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित समय एवं स्थान पर उसी दिन अथवा अन्य दिन आयोजित की जा सकती है; और यदि ऐसी बैठक में, बैठक आयोजित किए जाने के नियत समय के आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य कोरम पूरा करेंगे।

(vi) शासी निकाय के सदस्यों को कुलसचिव द्वारा प्रत्येक बैठक से कम से कम 10 कार्यदिवस पूर्व बैठक की कार्यसूची के साथ बैठक का लिखित नोटिस भेजा जाएगा;

बशर्ते कि, शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा कोई ऐसी मद शामिल किए जाने की अनुमति दी जाए जिसके लिए समुचित नोटिस नहीं दिया गया था।

(vii) उपर्युक्त उप नियम (vi) के प्रावधानों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, अध्यक्ष किसी अति आवश्यक मामले पर विचार करने के लिए अल्पावधि सूचना पर शासी निकाय की आपात बैठक बुला सकते हैं।

(viii) शासी निकाय की आपात बैठक तब भी बुलाई जा सकती है जबकि तीन से अधिक सदस्यों द्वारा कार्यसूची की केवल उन मदों, जिनके लिए अधियाचना की गई है, पर चर्चा करने हेतु लिखित में मांग की जाए।

(ix) बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा, और यदि बराबर मतविभाजन होता है तो अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।

(x) बैठकों के नोटिस, मद और कार्यवृत्त शासी निकाय के कार्यालय में प्रत्येक सदस्य के रिकॉर्ड किए गए पते पर दस्ती अथवा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा ई-मेल अथवा फैक्स के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, और यदि इन्हें इस प्रकार भेजा गया हो तो इन्हें समुचित रूप से सुपुर्द किया गया माना जाएगा।

(xi) यदि शासी निकाय की बैठक आयोजित किया जाना संभव न हो, तो शासी निकाय के सभी सदस्यों को कार्यसूची मद भेज दी जाएगी, और यदि उपर्युक्त उप नियम (v) में यथाउल्लिखित सदस्यों के कोरम द्वारा सहमति हो, तो इसे अनुमोदित माना जाएगा।

(xii) प्रक्रिया के किसी भी प्रश्न पर अध्यक्ष निर्णय ले सकते हैं, जो बाध्य होगा।

(xiii) यदि किसी सदस्य के, शासी निकाय की बैठक में विचार के लिए रखे जाने वाले किसी भी मुद्दे में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित निहित हों, जिसमें उसके हितों का टकराव हो, वह शासी निकाय की ऐसी चर्चा अथवा विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा।

(xiv) बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से तैयार किए जाएंगे और अधिमानत: सात कार्यदिवसों के भीतर सभी सदस्यों को, उनकी टिप्पणियों हेतु भेजे जाएंगे और यदि कार्यवृत्त जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें अंतिम माना जाएगा।

(xv) यदि किसी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त में संशोधन का सुझाव दिया जाता है, तो उसे पांच कार्य दिवसों के भीतर, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जारी करने की तारीख से सात दिन के भीतर पुष्टि के लिए शासी निकाय के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। अध्यक्ष, उस पर किसी भी टिप्पणी पर विचार करने के

बाद, कार्यवृत्त की पुष्टि और उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षरित कार्यवृत्त को शासी निकाय का संकल्प माना जाएगा।

(xvi) कार्यवृत्त में, बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम भी शामिल होंगे और उन सदस्यों के नाम जो संकल्पों से असहमत हैं अथवा भिन्न मत रखते हैं, यदि कोई हों, के नाम ऐसी असहमति के आधारों के साथ शामिल किए जाएंगे।

(xvii) कार्यवृत्त पुस्तिका कार्यालय समय के दौरान सभी सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु हर समय उपलब्ध रहेगी।

7. **शासी निकाय के सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भत्ते –**

(1) शासी निकाय के सदस्य, शासी निकाय और किन्हीं भी अन्य प्राधिकरणों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, शासी निकाय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित यात्रा भत्तों और दैनिक भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(2) किसी सदस्य द्वारा शासी निकाय अथवा अन्य किन्हीं भी प्राधिकरणों की बैठक में उपस्थित होने से संबंधित यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों की लागत विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी।

(3) शासी निकाय के ऐसे सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, उनके लिए अनुमत दरों पर उस स्रोत से प्राप्त करेंगे जहां से वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, यदि, सदस्यों द्वारा अपेक्षित हो तो विश्वविद्यालय संबंधित सदस्यों को, उनके यह घोषणा करने पर कि वे किसी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नहीं लेंगे, शासी निकाय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति करेंगा।

(4) शासी निकाय के सदस्य, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अलावा, शासक-मंडल की बैठक में शामिल होने के लिए, शासी निकाय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित उपस्थिति शुल्क के पात्र होंगे।

8. **शासी निकाय की कार्यपद्धति और कार्यप्रणाली -**

(1) हस्ताक्षरित कार्यवृत्त शासी निकाय के संकल्प के रूप में जारी किए जाएंगे।

(2) संकल्प के अनुरूप की गई कार्रवाई के बारे में शासी निकाय को अधिमानत: उसकी अगली बैठक में रिपोर्ट दी जाएगी।

(3) शासी निकाय के सभी आदेशों और निर्णयों को कुलसचिव अथवा शासी निकाय द्वारा इस संबंध में संकल्प द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(4) शासी निकाय का कोई भी कार्य अथवा कार्रवाई केवल (क) शासी निकाय के गठन में किसी भी रिक्ति अथवा त्रुटि: अथवा (ख) शासी निकाय के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति को, किसी त्रुटि के कारण अवैध नहीं माना जाएगा।

[फा. नं. 23011/07/2020-बीपीआरएंडडी]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2020

G.S.R. 653(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 43 of the Rashtriya Raksha University Act, 2020 (31 of 2020) are hereby published, as required by Sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the

expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be forwarded to the Deputy Secretary (IS-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001 or by email at varma.arch@nic.in

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Rashtriya Raksha University Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions -** (1) In these Rules, unless the context otherwise requires-

a) "Act" means the Rashtriya Raksha University Act, 2020 (31of 2020);

b) "Chairperson" means the Chairperson of the Governing Body as defined in sub-section 2(a) of Section 13 of the Act;

c) "Governing Body" of the University means the Governing Body as provided in sub-section (2) of Section (13) of the Act;

d) "Vice Chancellor", means the Vice Chancellor of the University appointed under sub-section (1) of Section 22 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act;

3. Terms and conditions for the appointment of members of the Governing Body -

(1) For selecting members under Clauses (g), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of Section 13 of the Act, the Vice Chancellor shall suggest a panel of not less than five names for each vacancy, preferably within eight weeks prior to the likely date of vacancy.

(2) The Central Government may consider the panel suggested by the Vice Chancellor while selecting the members of the Governing Body.

(3) All vacancies in the Governing Body shall be filled as per the provisions of the Act and the Rules made there under and the vacancy shall be filled preferably within 30 days from the date vacancy arises.

(4) The term of office of non ex-officio members of the Governing Body appointed against clauses (e) and (f) of sub-section (2) of Section 13 of the Act, shall be for a period of three years, or till the time they hold the position by virtue of which they are appointed, whichever is earlier.

(5) The term of office of other non ex-officio members of the Governing Body shall be for a period of three years. A nominated member of the Governing Body shall be eligible for re-nomination for the next term.

(6) The term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he / she has been nominated.

(7) An outgoing member shall, unless the Governing Body otherwise directs, continue in office until another person is nominated as a member in his / her place.

4. Disqualification for being a member of the Governing Body –

(1) Prior to the appointment of a person as member, he or she shall give a declaration that he or she has no conflict of interest in any manner with the affairs of the University, and in case, any such conflict of interest arises at any later period during his or her tenure, shall resign from the position forthwith.

Provided further that if after a due process of inquiry, it is established that there is a conflict of interest of a Governing Body Member and the Governing Body comes to a conclusion that the said conflict of interest is adversely affecting the interest of the University, then the Governing Body may decide the said member shall not participate in the proceedings of the Governing Body.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications

mentioned in clause (1) of the rule above, the question shall be referred to the Central Government whose decision shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any civil court against such decision.

5. Removal of a member of the Governing Body –

(1) A member of the Governing Body shall cease to be such member if he or she:-

(i) resigns his or her membership; or

(ii) has become physically or mentally incapable of acting as a Member; or

(iii) is, or at any time has been, adjudged as insolvent; or

(iv) has been convicted of an offence which in the opinion of the Central Government involves moral turpitude; or

(v) he or she accepts a full time appointment in the University; or

(vi) he or she fails to attend three consecutive meetings of the Governing Body without the leave of the Chairperson; or

(vii) is disqualified by the Governing Body in terms of Rule 4.

Provided that no Member shall be removed from office unless he / she has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) In case of nominated non ex-officio member, the order of removal shall be issued by the Central Government.

6. **Meetings of the Governing Body –**

(i) The Governing Body shall meet as often as necessary, but not less than two times during an academic year.

(ii) The interval between two meetings of the Governing Body shall not be more than six months in any case.

(iii) The meetings of the Governing Body shall be convened by the Chairperson of the Governing Body or on the recommendation of the Vice Chancellor.

(iv) The Chairperson, if for any reason, is unable to attend a meeting of the Governing Body any other Member chosen by the Members present from amongst themselves at the meeting shall preside at the meeting.

(v) One-third of the total members of the Governing Body participating in person or through video conference or tele-conference, shall form the quorum for meeting of the Governing Body:

Provided that, if a meeting is adjourned for want of quorum, it can be held at such other time and place on the same day or other such day, as the Chairperson may determine; and if at such a meeting, a quorum is not present within half an hour from the appointed time for holding the meeting, the members present shall form the quorum.

(vi) A written notice of every meeting along with agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Governing Body, at least ten working days prior to the meeting:

Provided that the Chairperson of the Governing Body may permit inclusion of any item for which due notice was not given.

(vii) Notwithstanding the provisions of sub-rule (vi) above, the Chairperson may call an emergency meeting of the Governing Body at a short notice to consider urgent matters.

(viii) Emergency meeting of the Governing Body may also be called if the Chairperson is so requisitioned in writing by more than three members to discuss only those items of agenda for which the requisition is made.

(ix) All matters considered at the meeting shall be decided by a majority of votes of members present, and if the votes be equally divided, the Chairperson shall have the casting vote.

(x) The notice, agenda and minutes of meetings may be delivered by hand or registered post or speed post or email or fax to the address of each member as recorded in the office of the Governing Body; and if so sent, shall be deemed to be duly delivered.

(xi) An agenda item may be sent by circulation to all members of the Governing Body when it is not possible to convene meeting of the Governing Body, and shall be deemed to have been approved if concurred by the quorum of members as mentioned in sub-rule (v) above.

(xii) The Chairperson may decide any question of procedure, which shall be binding.

(xiii) A member who is directly or indirectly interested in any matter coming up for consideration at a meeting of the Governing Body in which he/she has conflict of interest, shall not take part in such deliberation or discussion of the Governing Body.

(xiv) The minutes of the proceedings of a meeting shall be drawn by the Registrar with the approval of the Chairperson and circulated to all members preferably within a period of seven working days, seeking their comments and if no comments are received within ten days of receipt of minutes, the same shall be treated as final.

(xv) In case, modification is suggested by a member, the same shall be circulated within five working days, through post or electronically, to members of the Governing Body for confirmation within seven days from the issue. Chairperson, may, after taking into account any comments received thereon, confirm and sign the minutes. The signed minutes will be treated as Resolution of the Governing Body.

(xvi) The minutes shall contain names of the members present in the meeting and names of members, if any, dissenting from, or not concurring with the resolutions along with grounds of such dissent.

(xvii) The minute book shall be kept open for inspection of the members at all times during office hours.

7. Travelling and other Allowances payable to the members of the Governing Body –

(1) Members of the Governing Body shall be entitled to travelling allowances and daily allowance, as laid down by the Governing Body from time to time, for attending the meetings of the Governing Body and any other Authorities.

(2) The cost of travelling allowances and daily allowances arising in relation to a member attending a meeting of the Governing Body or any other Authorities shall be borne by the University.

(3) The members of the Governing Body who are Government employees, shall receive Travelling allowance and Daily allowance from the source from which they draw their salaries at the rates admissible to them. If, however, required by the members, the University shall reimburse the Travelling allowance and Daily allowance as laid down by the Governing Body from time to time, to the members concerned if they declare that they shall not claim Travelling allowance and Daily allowance from any other source.

(4) The members of the Governing Body, other than employees of the University, shall be entitled to sitting fees for attending meeting of the Governing Body as prescribed by the Governing Body from time to time.

8. Manner in which the functions of the Governing Body may be exercised-

(1) Signed minutes shall be issued as Resolution of the Governing Body.

(2) The action taken as per the Resolution shall be reported to the Governing Body, preferably in its next meeting.

(3) All orders and decision of the Governing Body shall be authenticated by the signature of the Registrar or any other person authorized by the Governing Body in this behalf by a resolution.

(4) No act or proceeding of the Governing Body shall be invalid merely by reason of, (a) any vacancy or defect, in the constitution of the Governing Body; or (b) any defect in the appointment of a person as a Member of the Governing Body.

[F. No.23011/07/2020-BPR&D]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.